संख्या-6/2024/001-1277/22-4-2023-1369563

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 ` लखनऊ: दिनांक-17 जनवरी,2024

विषय- जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37146/नम-2/महोबा नवीव कारागार (भाग-2)/2023, दिनांक 28.12.2023 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में जनपद **महोबा** में नवीन जिला कारागार निर्माण कराये जाने हेतु परियोजना लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 40.00 करोड़ (रुपया चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्ता/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-42/2023/111/2023-22-4-2023-140(ब)/97-1369563, दिनाक 29.03.2023 में उल्लिखित शर्तो प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2024 तक कर लिया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखा शीर्षक 4070008000800 कारागारों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2024/001-1277(1)/22-4-2023, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) जिलाधिकारी, महोबा।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्यामंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।